<u>न्यायालय :- द्वितीय अपर सन्न न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)</u> <u>श्रृंखाला न्यायालय बैहर</u> (पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

<u>आप.अपील क्र.—34 / 2017</u> <u>संस्थित दिनांक — 01.09.2017</u> <u>फायलिंग नं.—सी.आर.ए. / 1386 / 2017</u> सी.एन.आर. नम्बर.—एम.पी.5005—002080—2017

चन्द्रिकशोर पिता छगनलाल सोनी, उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम ठेमा, पुलिस थाना परसवाड़ा जिला—बालाघाट

..अपीलार्थी

/ / <u>विरूद</u>्ध

म0प्र0 शासन द्वारा :— आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा बालाघाट जिला बालाघाट

..<u>उत्तरवादी</u>

{न्यायालय: — श्री कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बालाघाट द्वारा आप.प्रक.क्र.— 1696418 / 2009 शासन विरूद्ध चन्द्रिकशोर में निर्णय दिनांक 24.05.2016 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से व्यथित होकर धारा 279, 337, 304ए, 374(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री के.डी.पाण्डव अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी। श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी।

_/// <u>निर्णय</u> /// (<u>आज दिनांक 06.12.2017 को घोषित</u>)

- 1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री कैलाश शुक्ल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 418 / 2009, म.प्र. राज्य विरूद्ध चन्द्रिकशोर में दिनांक 24.05.2016 को पारित निर्णय एवं अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर पारित दण्डादेश से परिवेदित होकर पेश की है।
- 2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 23.06.2009 को दिन में 03.00 बजे ग्राम कनई के पास लोकमार्ग पर बोलेरो के चालक

चन्द्रिकशोर सोनी, निवासी ग्राम ठेमा ने बोलेरो वाहन को उतावलेपन से चलाकर, लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की। जिसमें रामप्रसाद, कुमारी अलका, केशवलाल, मूलचंद को चोटें आईं, केशव की बाद में मृत्यु हो गई। प्रथमसूचना लेखकर धारा 279, 337 भा०द०विं० के अधीन प्रथमसूचना लेखकर आपराधिक कमांक 35/2009 दर्ज किया गया। केशव की मृत्यु के बाद 304ए भा०द०विं० का अपराध बढ़ाया गया। प्रक्रिया विधि का पालन कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने अनुमान और संभावना के आधार पर दण्डित किया है। साक्षीगणों के साक्ष्य का मूल्यांकन उचित रूप से किये बिना निष्कर्ष निकालकर दंडित किया है। दस्तावेजी साक्ष्य को विचार में नहीं लिया गया। दुर्घटना यांत्रिकी त्रुटि के कारण हुई थी के तथ्य को विचार में लेकर त्रुटि की है। निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर दण्डाज्ञा निरस्त की जावे।

4. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्धान विचारण न्यायालय ने आपराधिक कृमांक 418/2009 में दिनांक 24.05.2016 को पारित निर्णय एवं साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि की है, तथ्य की त्रुटि की है, विधि की त्रुटि की जाने से दोषसिद्धि व दण्डादेश का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

- 5. मूलचंद अ.सा.01 ने साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित आरोपी को जानता है, घटना दिन के समय जून माह की है तब साक्षी व अन्य चंगना से ग्राम कनई आ रहे थे, गाड़ी को आरोपी चला रहा था, तेज चला रहा था, सड़क पर हल्का मोड़ है वहां पर गाड़ी पलट गई, दो लोग बाहर गिर गये थे, उन्हें चोटें आईं, दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। गाड़ी की स्पीट 90—95 रही होगी। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट लिखवाई थी।
- 6. रामप्रसाद अ.सा.02 ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग छः महीने पहले की है। साक्षी, साक्षी की पत्नि और साक्षी के

मामा बोलेरो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी को आरोपी चला रहा था। ग्राम कनई के पास तीन टोले पड़ते हैं, जिसके दूसरे टोले के पास बोलेरों गाड़ी पलट गई थी, आरोपी द्वारा वाहन तेज चलाया जा रहा था। वाहन की गति 80–90 कि. मी. की थी। बोलेरों गाड़ी पलटने से साक्षी के बांये आंख के साईड में और दाहिने पैर दांये पैर में चोट और साक्षी की पत्नि को हल्की चोट आई थी। साक्षी के मामा का पैर फ़ैक्चर हो गया था। घटना के बाद साक्षी के मामा की मृत्यु रात 12.00 बजे बूढ़ी अस्पताल बालाघाट में हुई थी। बोलेरो गाड़ी का नम्बर याद नहीं है। साक्षी का और उसकी पत्नि की चोटों का प्रशिक्षण अस्पताल में हुआ था, पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे।

- 7. रामेश्वरी अ.सा.3 पिलन रामप्रसाद ने साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित आरोपीगण को पहचानती है, वह ग्राम ठेमा में रहता है। घटना 22 या 23 तारीख जून माह 2009 की है। घटना के दिन दोपहर 03.00 बजे साक्षी के मामा ससुर केशव आरोपी की बोलेरो गाड़ी लेकर लेकर साक्षी को लेने के लिए साक्षी घर आया था। साक्षी और उसका पित, मामा ससुर और अन्य एक व्यक्ति उस गाड़ी में बैठकर ग्राम ठेमा जा रहे थे तब ग्राम कनई के पहले और दूसरे टोले के बीच में गाड़ी पलट गई, उस समय न्यायालय में उपस्थित आरोपी 90—100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी साक्षी के मामा ससुर बुकिंग कर लाये थे, गाड़ी पलटने से साक्षी को और साक्षी के पित को चोटें आई थीं तथा मामा ससुर खत्म हो गये थे।
- 8. दिनेश अ.सा.04, सुरेश अ.सा.07 की साक्ष्य में अपील के निराकरण हेतु कोई कथन नहीं है।
- 9. कुमारी अलका अ.सा.05 ने साक्ष्य दी है कि जब दुर्घटना हुई थी, तब वह कक्षा तीसरी में पढ़ती थी, अभी पांचवी में पढ़ती है। घटना दिनांक को वह ठेमा से ग्राम चंदना जीप में बैठकर जा रही थी। साक्षी की बहन नंदनी और भाई अखिलेश साथ में थे। मूलचंद, रामप्रसाद और केशव साक्षी के साथ जीप में थे, जीप पलट गई थी। साक्षी ने चलाने वालों को देखा था किन्तु नाम

नहीं मालूम। साक्षी की दोनों जांघ में चोट आई थी, दुर्घटना के बाद केशव मर गया है, ड्रायवर जोर—जोर से गाड़ी चला रहा था।

- 10. नानीबाई अ.सा.06 ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक 23.06.2009 को ग्राम कनई और धुर्वा के बीच की 02:00—03:00 बजे की है, तब वह घर पर थी। उसे सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके पित की दुर्घटना में मौत हो गई है। पित को परसबाड़ा में भित किया था, वहां देखने गई थी। उसके बाद साक्षी के साक्षी के पित को बालाघाट रिफर किया गया था। साक्षी के पित की बूढ़ी, बालाघाट अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने नक्शा पंचनामा प्र.पी.02 का बनाया था जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृत्यु जाांच में उपस्थित होने का आवेदन पत्र प्र.पी.03 है, अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी को वह जानती है, वह तेज और लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने बयान लिये थे।
- 11. मोहनलाल अ.सा.०८ ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 24.06.2009 को पुलिस चौकी अस्पताल, बालाघाट में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर अस्पताल की प्राप्त होने पर, प्र.पी.05 मर्ग इन्टीमेशन रिपोर्ट लेख की थी जिस पर अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उपस्थित पंचों को मृत्यु जांच हेतु प्र.पी.03 का आवेदन जारी किया था जिस पर स से स भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पंचों के समक्ष नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.02 का तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। मृतक के शव का परीक्षण करने हेतु फार्म भरकर शासकीय अस्पताल बालाघाट से परीक्षण कराया था।
- 12. डॉ आर.के. नकरा और डॉ. एस.सी.कावड़े के कथन को लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 13. महेश पटले अ.सा.०९ ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह वर्ष 2005 से चार पिहया वाहन चलाता है। साक्षी को वाहन चलाने एवं सुधारने का अनुभव है। दिनांक 01.07.2009 को बोलेरो वाहन कमांक एम.पी.50 बी 0346 का मैकेनिकल परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 की दी थी जिस पर अ से अ

भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन स्टेयरिंग टूटा था, चेचिस बेंड था, ब्रेक फेल था, वॉडी टूटी—फूटी हुई थी, हेडलाईट टूटे थे, सामने का बम्फर और हेड मिरर टूटा था। सभी पल्लों के कांच टूटे थे। उक्त वाहन का क्लच काम नहीं कर रहा था। परीक्षण के समय उक्त वाहन का इंजन बंद हालत में था।

14. एम.एल.वंशकार अ.सा.12 अन्वेषण अधिकारी है, के कथन को विचारणीय प्रश्न के निराकरण हेतु लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

15. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। श्री के.

15. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। श्री के. डी.पाण्डव अधिवक्ता ने हरदीप कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 1995 जे.एल.जे. 229 पेश कर निवेदन किया कि इस निर्णय के पद कमांक 7 में सैयद अकबर विरुद्ध स्थेट ऑफ कर्नाटका(1970 एस.सी. 1848) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अभियोजन को सार्थक साक्ष्य पेश कर रैसनेस और नक्लीजेंस को साक्ष्य से प्रमाणित करना चाहिए। केवल एक्सीडेंट मात्र के आधार पर रेस—नेग्लीजेंस वाहन चलाने में हुई थी उपधारणा नहीं करना चाहिए। उस मामले में सार्थक साक्ष्य न होने से धारा 304ए भाठद०विंठ के अधीन दोषमुक्त किया गया था। संपूर्ण सिद्धांत के आधार पर अपीलार्थी को भी दोषमुक्त किये जाने की याचना की है।

16. महादेव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2006(2) एम.पी. वीक्ली नोट्स 107 पेश कर निवेदन किया कि अचानक स्क्षेयरिंग वाहन खराब हो जाने के कारण दुर्घटना होने से धारा 80 द०प्र०सं० के अधीन आच्छादित दुर्घटना है। उपेक्षा अथवा उतावलापन सिद्ध न होने से धारा 304ए, 338, 279 भा०द०विं० के अधीन अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। बाबत सिद्धांत माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस अपील में भी अ.सा.०९ महेश पटले जिसने दुर्घटनाग्रस्त बाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा किया है के कथन के आधार पर अपीलार्थी के नियंत्रण में यांत्रिकी त्रुटि न होने से दुर्घ दिना हो जाने की साक्ष्य और तथ्य पर अभिलेख विद्यमान है। धारा 80 भा०द०विं० का लाभ अपीलार्थी को दिये जाने की याचना की है।

- 17. अभिलेख पर उक्त व संपूर्ण साक्ष्य और उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिये जाने के पश्चात उक्त गुणों व न्यायदृष्टांतों का अध्ययन कर विचार में लिया गया।
- 18. महेश पटले अ.सा.09 के कथन राज्य की ओर से पेश है। प्र.पी.06 की रिपोर्ट भी राज्य की ओर से पेश है के आधार पर अपीलार्थी अभियुक्त का दुर्घटना समय का कृत्य धारा 80 भा0द0सं0 के अधीन अध्याय 4 साधारण अपवाद में है के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- 19. अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 24.05. 2016 को अपास्त किया जाता है। दंडादेश अपास्त किया जाता है। अतः अपीलार्थी चन्द्रकिशोर को धारा 279, 337, 304ए के भा०द०विं० के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अपीलार्थी के
- 20. अपीलार्थी के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते है।
- 21. अपीलार्थी ने रसीद बुक नम्बर 23120 के रसीद नम्बर 8 से दिनांक 24.05.2016 को 900 / —रूपये का अर्थदण्ड विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया है जो अपील अवधि पश्चात अपीलार्थी अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि अपील अवधि पश्चात ई—भुगतान द्वारा लौटाई जावे।
- 22. अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार पालन किया जावे।
- 23. मामले मं जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में वाहन क्रमांक एम.पी.50डी 0346 सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी की शर्ते समाप्त की जाती हैं।
- 24. निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेखागार में जमा की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। सही / –

> (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट

मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया। सही / – (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट